

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक:-

मुख्य अभियंता,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
मुजफ्फरपुर।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, काँटी।

पटना, दिनांक- 19/9/17

विषय:- ई-टेंडरिंग पद्धति द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं०-01/2016-17 के ग्रुप सं०-01 के कार्य नगर पंचायत, काँटी ग्राम काँटी अन्तर्गत कोठिया में थर्मल पावर ऐश डैम बाँध से कोठिया मजार होते हुए नाथ बाबा मस्जिद को जोड़ते हुए मध्य विद्यालय (बालिका) तक के सड़क के चौड़ीकरण एवं पी०सी०सी० निर्माण कार्य तथा कोठिया मजार से हरिजन चौक होते हुए सलेश स्थान तक के सड़क की चौड़ीकरण एवं पी०सी०सी० निर्माण कार्य के कार्य आवंटन के संबंध में। (ग्रुप सं०-01)

प्रसंग:- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, काँटी का पत्रांक-477 दिनांक-04.08.2017 एवं पत्रांक-542 दिनांक-30.08.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र से ई-टेंडरिंग पद्धति द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं०-01/2016-17 के ग्रुप सं०-01 के कार्य नगर पंचायत, काँटी ग्राम काँटी अन्तर्गत कोठिया में थर्मल पावर ऐश डैम बाँध से कोठिया मजार होते हुए नाथ बाबा मस्जिद को जोड़ते हुए मध्य विद्यालय (बालिका) तक के सड़क के चौड़ीकरण एवं पी०सी०सी० निर्माण कार्य तथा कोठिया मजार से हरिजन चौक होते हुए सलेश स्थान तक के सड़क की चौड़ीकरण एवं पी०सी०सी० निर्माण कार्य हेतु तकनीकी बीड में सफल दो निविदाकार (1) शिवशंकर सिंह कॉन्ट्रैक्ट प्रा०लि० एवं (2) आशियाना कॉन्ट्रैक्ट प्रा०लि० में से न्यूनतम दर देने वाले निविदाकार आशियाना कॉन्ट्रैक्ट प्रा०लि०, राजेन्द्रनगर, गोपालगंज को उक्त कार्य उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की राशि 2,76,00,900/- (दो करोड़ छियत्तर लाख नौ सौ) रुपये मात्र से 2.26% कम अर्थात् कुल राशि 2,69,77,119/- (दो करोड़ उन्नहत्तर लाख सतहत्तर हजार एक सौ उन्नीस) रुपये मात्र पर कार्य आवंटित किया जाता है।

कार्यपालक अभियंता, डुडा, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, काँटी सभी कागजातों का सत्यापन कर एवं असाधारण उद्धृत दर के लिए यथोचित Additional Performance Guarantee लेकर एकरारनामा करेंगे।


तदनुसार ही निम्न निदेशों को पालन करते हुए एकरारनामा करेंगे।

1. कार्य समाप्ति की अवधि 18 (अठारह) माह होगी।
2. कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी अनुमोदन के अधीन सीमित रखा जाय।
3. एकरारनामा हेतु पूर्ण रूपेण जाँचोपरान्त परिमाण विपत्र के अवयवों को शुद्ध एवं वैध स्वरूप प्रयुक्त किया जाय।

4. कार्य का एकरारनामा 07 (सात) दिनों के अन्दर सम्पन्न कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
5. अगर निविदा में अंकगणितीय गणना में कोई त्रुटि रह गई तो इसकी सूचना निश्चित रूप से दिया जाय एवं निविदा का कार्यान्वयन तब तक नहीं किया जाय जब तक कि इस स्तर से समुचित निदेश प्राप्त नहीं हो जाय।
6. कार्य का सम्पादन तकनीकी स्वीकृति में दिये गये टीका-टिप्पणी के अनुरूप विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाय।
7. कार्य को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत सम्पादित कराना सुनिश्चित कराया जाय। परिमाण विपत्र में अंकित मात्राओं को कार्यस्थल पर पुस्तिका में अंकित कर दिया जाय एवं तदनुसार ही कार्य कराए जाय। इसके लिए संवेदक से कार्य योजना प्राप्त कर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।
8. कार्य आरम्भ करने के पूर्व प्री लेवल अवश्य करा लेंगे, ताकि कार्य पूर्ण होने पर कृत कार्य की मात्रा कि गणना सही ढंग से की जा सके।
9. कार्य के दौरान व्यवहार में आनेवाले सामग्रियों यथा ईट, बालू, चिप्स, मेटल आदि की गुणवत्ता की जाँच व्यवहार में लाने के पूर्व करा लेंगे।
10. PCC/RCC कार्य की योजना में कार्य के दौरान Cube का Mould cast के बाद Crushing strength का Test अवश्य करा लेंगे।
11. पथ के फ्लैक का निर्माण पथ के Crust के बाद Camber में निर्मित करेंगे ताकि जल का जमाव पथ पर नहीं हो तथा फ्लैक एवं पथ क्रस्ट के बीच किसी प्रकार का ठोकर नहीं हो।
12. कार्य स्थल के आरंभिक एवं अंतिम बिन्दु पर योजना संबंधी सूचना पट्ट लगाना आवश्यक हो, जो लोहे के Angle पर PCC से जाम हो।
13. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा CWJC सं0-14831/2009 में पारित आदेश के आलोक में निविदित पथ का स्तर (level) सटे मकानों के पीलीथ से नीचे रखना सुनिश्चित करेंगे।
14. आप से प्राप्त तुलनात्मक विवरणी अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु लौटाई जाती है।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

अनु0:- तुलनात्मक विवरणी एवं सभी निविदा अभिलेख मूल में।

विश्वासभाजन

 18.12.17
 मुख्य अभियंता
 नगर विकास एवं आवास विभाग
 बिहार, पटना।